

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

बोमली डेवी

बनाम

कुलालपुरा

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर

464/24

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

27.11.24

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती बोमली डेवी

पिता श्री श्री ७/० मदनलाल मुन्डा

निवासी- बिजमपुर तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम

कुलालपुरा (प.ह. बिजमपुर) स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर

(प.ह. बिजमपुर)

खाना नं. 12 में वर्णित व खाना नं. 9 में वर्णित आराजीमान

कुल कीता 1 + 4 = 5 कुल रकबा 1.28 है 0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

कुलालपुरा (प.ह. बिजमपुर)

अतः प्रार्थी की ग्राम कुलालपुरा (प.ह. बिजमपुर) स्थित खातेदारी की भूमि आराजी

नम्बर 121, 122, 123, 129, 129  
143, 144, 145, 147

कुल कीता 0.5 रकबा 1.28 है 0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 1500 रुपये अक्षरे 15 हजार पांच सौ प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।

(बीनू (सिग्नेचर))

सहायक कमिश्नर एवं

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौड़गढ़ (राज.)